न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 120/2013 **RCMS 2013/00091**

प्रार्थीगण

1. छीगनाराम पुत्र मोतीराम जाति बलाई निवासी बरवाली तहसील मकराना जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां
2. तहसीलदार कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र बाबत नक्शा में भूल से छूटे हुए अंकन को दुरूस्त कराने व तरमीम कराने हेतु अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक 31-8-2023

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2665/2381 रकबा 0.81 हैक्टर प्रार्थी व ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल बलाई की संयुक्त खातेदारी की स्थित है, उपरोक्त खसरा की प्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी से नकालात चाही तो उसने इंकार कर दिया तथा बताया कि उपर्युक्त खसरा नम्बर को नक्शा ट्रेस में तरमीम नही किया हुआ है तथा नक्शा ट्रेस में अंकन नही हुआ है, प्रार्थी द्वारा नागौर अभिलेखागार से वांछित नकालात नक्शा शीट की पड़ौसी खसरान सहित प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही सम्पन्न होने के वक्त जमाबंदी खतौनी में तो उक्त खसरा नम्बर 2665/2381 रकबा 0.81 हैक्टर तो खातेदारी में अंकित किया गया लेकिन प्रार्थी की खातेदारी की उक्त भूमि को नक्शा ट्रेस में अंकित होने से छूट गया एवं केवल मात्र खसरा नम्बर 2381 का ही अंकन कर दिया गया। उक्त खसरा नम्बर 2665/2381 रकबा 0.81 हैक्टर के हद हदूद निम्न प्रकार है :–

पूर्व में :– खसरा नम्बर 2381 की भूमि

पश्चिम मे :– स्टेशन रोड, सड़क

उत्तर में :– रास्ता व खसरा नम्बर 2378 की भूमि

दक्षिण में :– खसरा नम्बर 2629/2381 की भूमि

नक्शा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि का अंकन [illegible] होने स व केवल खसरा नम्बर 2381 का अंकन सरकारी खाते में होने से प्रार्थी [illegible] गलत अशुद्ध खातेदारी भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

लोकेशन को विभिन्न प्रकार से आंवटन करके नष्ट किया जाने की पूर्ण सम्भावना बन चुकी है। सहखातेदार ओमप्रकाश द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रार्थी के हक में लिख दिया है और प्रार्थी ही सम्पूर्ण 0.81 हैक्टर भूमि पर काबिज है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि कुचामन के नक्शा ट्रेस में अंकित खसरा नम्बर 2381 में पश्चिमी तरफ के उपर्युक्त हद हदूदो के बीच खातेदारी में खसरा नम्बर 2665/2381 रकबा 0.81 हैक्टर का नक्शा में अंकन कराकर तरमीम कराने की अनुकम्पा करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2381 रकबा 3.14 हैक्टर खादर (चारागाह हेतु) किस्म भूमि गै.मु.खारड़ा राजस्थान राज्य की सम्पति है जिसमे नामा. सं. 2513 दिनॉक 20.04.2007 करे 0.16 हैक्टर भूमि स्वयं सिद्वा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु सचिव स्वयं सिद्वा ब्लाक सोसायटी महिला एवं बाल विकास विभाग कुचामनसिटी के नाम दर्ज है, सम्पूर्ण खसरा नम्बर का रकबा क्रोस अंकित सम्मिलित भूमि संलग्न नक्शा में अंकित नाप चौक से कुल 3.14 हैक्टर दुरूस्त है, प्रार्थी बनावटी कथन तरीके अपनाकर उपरांकित राजकीय भूमि हड़प लेना चाहता है, जिसकी उसके अनुमति नही दी जा सकती। विवादित आराजी भूमि राजकीय भूमि है जिसमें प्रार्थी को किसी प्रकार खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते है तथा इस भूमि को राजस्थान राज्य सरकार को बहैसियत स्वामी लोकहितार्थ एवं राजकीय उद्देश्यो हेतु उपयोग व उपभोग लेने का अधिकार है। प्रार्थी के कथन गलत विधिविरूद्व एवं मिथ्या In the eye of law ineffective है तथा Null & Void होने से अस्वीकार है प्रार्थी कब विवादित राजकीय भूमि पर possession मे आया ऐसा कोई उल्लेख अपने अभिकथन में नही किया है यदि उक्त खसरा नम्बर 2381 की पश्चिमी क्रोस भूमि जिसका सम्पूर्ण नाप नक्शा ट्रेस में अंकित पैमाना से नाप 3.14 हैक्टर है जो मौके पर एक ही भूमि है जिसका मौके पर नाप भी वास्तविक रूप से बिल्कुल सही अंकित है यदि प्रार्थी के कथन पर तनिक भी विश्वास कर भी लिया जाता है तो ओर रेकर्ड में हैराफेरी की जाती है तो इससे तो सम्पूर्ण कुचामन का ही रकबा बढ़ जायेगा जो की कतई सम्भव नही है इससे भूमि विवाद ही बढ़ेगें, औमप्रकाश को उपरोक्तानुसार राजकीय भूमि बेचान करने का कोई कानूनी अधिकार भी नही है। विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आया है प्रार्थी अपने अभिवचन में सहखातेदार होने का उल्लेख किया है जबकि कथित ओमप्रकाश प्रकरण में ना तो प्रार्थी की हैसियत से वाद पक्षकार है ना ही प्रार्थी ने उसके अप्रार्थी पक्षकार के रूप में जोड़ा है ऐसी परिस्थिति तें प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आवश्यक पक्षकार के अभाव में काबिल खारिज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है फलतः प्रार्थना पत्र प्रचलन योग्य नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उक्त जवाब प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रार्थी वकील ने प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 2665/2381 की भी सहखातेदारी में दर्ज चली आ रही है, प्रार्थी व उसके हिस्सेदार द्वारा खसरा नम्बर 2381 की खातेदारी नही चाही गई है केवल मात्र खातेदारी मे अभिलिखित खसरा नम्बर 2665/2381 को नक्शा में अंकन कराने हेतु आवेदन है, विशेष कथन में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा या सह खातेदार द्वारा नक्शा में अंकन कराने के उद्देश्य का सह खातेदार का प्रार्थना–पत्र में पक्षकार जोड़ने का कोई औचित्य नही है सह हिस्सेदार खातेदार के विरूद्व कोई दावा नही है उसे इस प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नही बनाने से उसके हितो की क्षति नही होगी बल्कि उसके हित भी नक्शा में तरमीम होने के साथ ही है इसलिए पक्षकार बनाया जाने का कोई औचित्य नही है। प्रार्थी द्वारा धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शा पर अंकित (तरमीम) कराया जाने के अनुकम्पा करावें। पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट दिनॉक 20.06.2014 अनुसार कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2381 का मौके पर मोमिया नक्शे की प्रतिलिपि से पैमाईस की गई, मौके पर जिसका नाप 2.98 हैक्टर है तथा नक्शा का रकबा निकालने पर 2.98 हैक्टर क्षेत्रफल आता है, उक्त खसरा नम्बर 2381 रकबा 2.98 हैक्टर किस्म गै.मु.खारड़ा सिवाय चक जोत में दर्ज है, इसी खसरा नम्बर के दक्षिणी पूर्वी भाग पर कातले गाड़कर लगभग 0.80 हैक्टर भूमि बंटी हुई है जिसमें अंग्रेजी बबूल काटे हुये है, उक्त 0.80 हैक्टर भूमि में पश्चिम व दक्षिण में बीच में एक पुराने कुए की नाल के चिन्ह स्थित है।

प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य मे नक्शा ट्रेस की नकल पटवारी हल्का कुचामनसिटी द्वारा जारी दिनॉक 30.06.2007 की प्रस्तुत की, जमाबंदी नकल सम्वत 2030–2033, 2033–2036, 2037–2040, 2058–2061, 2062–2065, 2074–2077 नक्शा ट्रेस नकल नये खसरा नम्बर 2381 इत्यादि, नामा. सं. 315 की प्रमाणित प्रति, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046–2065, मिलान क्षेत्रफल की नकल, बेचान दिनॉक 12.07.91, नामान्तरकरण सं. 68 की प्रमाणित प्रति, अन्य दस्तावेजात की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की गई। पूर्व अधिवक्ता श्री नाथूराम गुर्जर द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस शामिल मिसल उपलब्ध है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वर्तमान अधिवक्ता द्वारा ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2665/2381 रकबा 0.81 हैक्टर बारानी द्वितीय को राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित किये जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। नामा. सं. 215 ग्राम कुचामन खसरा नम्बर 745 मे से 5 बीघा भूमि मालचन्द पुत्र महादेव नायक को श्रीमान एस डी ओ साहब परबतसर के आदेश दिनॉक 16.6.19970 को आंवटन होने से खातेदार दर्ज हुई। नकल खतौनी सम्वत 2030–2033 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम[illegible] मिन रकबा 5 बीघा मालचन्द पुत्र महादेव कौम नायक सा. देह खा[illegible]33–2036 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 745 मिन रकबा 5 बीघा [illegible] पुत्र महादेव कौम नायक सा. देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खातेदार, सम्वत 2037–2040 ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 745 मिन रकबा 5 बीघा मालचन्द पुत्र महादेव कौम नायक सा. देह खातेदार दर्ज है, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 में ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 745 मिन रकबा 5 बीघा मालचन्द पुत्र महादेव कौम नायक सा. देह खातेदार दर्ज है, मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर ७४५ मि. ०.८१ हैक्टर के नये खसरा नम्बर २६६५/२३८१ रकबा ०.८१ हैक्टर अंकित है, बेचाननामा दिनॉक 12.07.1991 अनुसार मालचन्द पुत्र महादेव नायक कुचामनसिटी द्वारा छिगनाराम पुत्र मोतीराम बलाई नि. बरवाली ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल बलाई निवासी गुढ़ासाल्ट को बेचान की गई, जिसका राजस्व रेकार्ड मे नामा. सं.68 से खातेदारी दर्ज हुई। जमाबंदी नकल सम्वत 2058–2061 में ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2665/2381 रकबा 0.81 हैक्टर बारानी द्वितीय में छिगनाराम पुत्र मोतीराम बलाई नि. बरवाली ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल बलाई निवासी गुढ़ासाल्ट खातेदार दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2062–2065 में छिगनाराम पुत्र मोतीराम बलाई नि. बरवाली ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल बलाई निवासी गुढ़ासाल्ट खातेदार दर्ज हैं, उक्त खसरा नम्बर पटवारी हल्का द्वारा जारी नकल दिनॉक 21.03.2011 में भी नक्शा ट्रेस में अंकित नही है, खसरा नम्बर 2381 रकबा 3.14 हैक्टर गै.मु.खारड़ा राजकीय खाते में दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। उपरोक्त भूमि प्रार्थी छिगनाराम पुत्र मोतीराम बलाई नि. बरवाली ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल बलाई निवासी गुढ़ासाल्ट की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा आवंटन भूमि मालचंद के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात मालचन्द के द्वारा बेचान करने पर ओमप्रकाश एवं छिगनाराम के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त भूमि में इन्ही का कब्जा काश्त चला आया है तथा खसरा नम्बर 2665/2381 नक्शा ट्रेस में दर्ज होने से रह गये है।

पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट दिनॉक 20.06.2014 अनुसार कस्बा कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2381 का मौके पर मोमिया नक्शे की प्रतिलिपि से पैमाईस की गई, मौके पर जिसका नाप 2.98 हैक्टर है तथा नक्शा का रकबा निकालने पर 2.98 हैक्टर क्षेत्रफल आता है, उक्त खसरा नम्बर 2381 रकबा 2.98 हैक्टर किस्म गै.मु.खारड़ा सिवाय चक जोत में दर्ज है, इसी खसरा नम्बर के दक्षिणी पूर्वी भाग पर कातले गाड़कर लगभग 0.80 हैक्टर भूमि बंटी हुई है जिसमें अंग्रेजी बबूल काटे हुये है, उक्त 0.80 हैक्टर भूमि में पश्चिम व दक्षिण में बीच में एक पुराने कुए की नाल के चिन्ह स्थित है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का उपरोक्त स्थान पर कब्जा काश्त चला आया है जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का रिपोर्ट से भी होती है, फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनॉक 04.10.2019 में भी उपरोक्त खसरा नम्बर 2665/2381 में मूंग की फसल ... की ताईद की गई है नक्शा ट्रेस की छाय प्रति में भी खसरा नम्बर 2381 के ... कोने में खाली जगह पर प्रार्थी खातेदारो का कब्जा काश्त बताया गया है ... उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

है कि प्रार्थी खातेदार छिगनाराम एवं ओमप्रकाश का उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 2665/2381 को उपरोक्त हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार एवं नजरी नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार आदेश दिये जाते है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 2665/2381 रकबा 0.81 हैक्टर बारानी द्वितीय को राजस्व नक्शा ट्रेस में उपरोक्त प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किया जाकर पालना प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा।

आदेश आज दिनॉक 31/8/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested